



कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर

मकान नम्बर - 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492007

फोन:-0771-2444591 ईमेल:- cspcraipur@gmail.com वेबसाईट:- www.cspc.in

कमाक / सी.जी. / फार्मा / 2024 / 647


रायपुर, दिनांक :- 27/06/2024

: फार्मासिस्टों के लिए सूचना :

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल में पंजीकृत फार्मासिस्टों में से विभिन्न क्षेत्रों जैसे शासकीय व प्राइवेट हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट, शिक्षक फार्मासिस्ट, सामुदायिक (मेडिकल स्टोर में कार्यरत) फार्मासिस्ट व अन्य समस्त श्रेणी के अन्तर्गत कार्यरत फार्मासिस्टों द्वारा निर्धारित समयावधि में पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया गया है अथवा आवश्यक नहीं समझते हैं। जबकि फार्मसी प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी क्षेत्र के फार्मासिस्टों का जीवित पंजीयन अथवा पंजीयन के नवीनीकरण की तिथि का वैध होना सर्वथा अनिवार्य है।

जीवित फार्मासिस्ट पंजीयन के अभाव में फार्मसी के क्षेत्र में कार्यरत, सेवारत या व्यवसायरत होना फार्मसी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत विधि विरुद्ध है।

अतः छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल में पंजीकृत ऐसे सभी फार्मासिस्ट जिनका पंजीयन नवीनीकरण नहीं है, वे अनिवार्य रूप से अपने फार्मासिस्ट पंजीयन का नवीनीकरण करा लेवे।


27/06/2024

(अश्वनी गुर्देकर)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल

रायपुर (छ.ग.)